संख्या:–6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 25 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 55.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 536.41 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 536.41** लाख (₹ पाँच करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 11 कार्य हेतु ₹ 1.10 लाख (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेग तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों व जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसा अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृ आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभ द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूस मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्व निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा 3 सड़कें– आयौजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत नि कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 602/XXVII/(2)/2013 दि0: 11 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः- (1)/ ।।।(2)/13-40(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या:— 6970 / III(2) / 13—40(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	डी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—375 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के बिकास खण्ड गैरसैंण में पाण्डुवाखाल गोगना हिरूली बाजार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	28.86 (₹ 17.55 + ₹ 11.31 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—375 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—गैरसैंण में मालकोट—कालीमाटी—सैरा—तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00 + 30.00 mt	31.38 (₹ 20.07 + ₹ 11.31 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—375 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि0मी0 3 से चटिंग्याला—कोटी—नौली—हिण्डोली होते हुए सोनली कण्डारा मोटर मार्ग के कि0मी0 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	93.60 (₹ 58.50 + ₹ 35.10 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—375 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—कर्णप्रयाग में काण्डई पुल से खड़गोली कमेड़ा मोटर मार्ग का कार्य।	4.00	37.44 (₹ 23.40 + ₹ 14.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—375 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में गैरसैंण—पटोटीगैंण—धारगैड़—खत्रियाणा—रीठिया मोटर मार्ग का कार्य।	3.00	56.16 (₹ 17.55 + ₹ 38.61 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—376 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—कर्णप्रयाग में नाकोट बैण्ड से खोला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	45.00 (₹ 29.25 + ₹ 15.75 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—376 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग—सांकरी—पलेठी—रिठोली मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	54.00 (₹ 35.10 + ₹ 18.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—376 / 2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड—कर्णप्रयाग में किमधार —स्यान—किशनपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7.00	63.00 (₹ 40.95 + ₹ 22.05 उत्तराखण्ड—अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
09	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड—बहादराबाद में कांगड़ी श्यामपुर मार्ग पर पड़ने वाले मुंडाल सोत पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	45 mt	4.95	0.10

पत्र स० 117
फाईल सं० 3(0006)/D
दिनांक 16/1/014

-4-

शासनादेश संख्याः– 6970/ III(2) / 13–40(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

10.	जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उडामांडा से तल्ला बिनगड–खुनीगाड–कुमेडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	90.90 (₹ 58.50 + ₹ 32.40 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड–कीर्तिनगर खजरा–बैजवांडी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार।	4.00	31.12 (₹ 23.40 + ₹ 7.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योगः–	55.00 + 02brg	536.41	1.10

(कुल ₹ एक लाख दस हजार मात्र)

महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० 2420 / 20मा०वा०क०/13 दिनांक 20/12/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- मुख्य अभियन्ता, ग०/कुमाऊँ, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।

2- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम्/अष्टम्/सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/गोपेश्वर/हरिद्वार।

3- कक्ष/प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

6 JAN 2014
सातवां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर

पृष्ठ संख्या 98/147 यात -7/014 दि० 13/1/14 ई० 15/12/13

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता प्रा०/अस्थाई खण्ड लो० नि० वि० कर्णप्रयाग/गौचर को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

संलग्न :- यथोपरि

प्रतिलिपि :- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) वृत्त कार्यालय को उक्त शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ,

अधीक्षण अभियन्ता
लो० नि० वि०